

**प्रिय NDIS प्रतिभागी**

यह लेटर नए NDIS गुणवत्ता और बचाव आयोग के बारे में है।

इसे संक्षिप्त में एनडीआईएस आयोग कहा जाता है।

यह साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स में 1 जुलाई 2018 को शुरू होगा।

एनडीआईएस आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि आपको एनडीआईएस के माध्यम से मिलने वाली सहायता अच्छी और सुरक्षित हो।

आपको सुरक्षित रहने और अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएँ पाने का अधिकार है।

आपको शिकायत करने का अधिकार है।

**हम क्या करेंगे**

सुनिश्चित करेंगे कि सेवाएँ आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करें।

कामगारों को कहेंगे कि उन्हें एनडीआईएस आचार संहिता के नियमों का पालन करना होगा।

सेवाओं को दुर्व्यवहार, उपेक्षा और अन्य बुरी चीजों की रिपोर्ट करवाने वाले के लिए बाध्य करेंगे।

सेवाओं को बेहतर करने के लिए जानकारी और सलाह देंगे।

**शिकायत करना ठीक है**

आप एनडीआईएस के माध्यम से मिलने वाली सहायता के बारे में शिकायत कर सकते हैं।

पहले अपने सेवा प्रदाता से बात करें

आप परिवार, किसी दोस्त या वकील से सहायता पा सकते हैं।

यदि सेवाएँ मदद नहीं करती हैं या आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं तो **एनडीआईएस आयोग** से कहें।

हम आपकी बात सुनेंगे और इसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे।

**शिकायत करना**

आप हमें फ़ोन करके शिकायत कर सकते हैं।

फ़ोन: **1800 035544 (लैंडलाइन से निःशुल्क कॉल)।**

या आप हमारी वेबसाइट [www.ndiscommission.gov.au](http://www.ndiscommission.gov.au) पर शिकायत फ़ॉर्म भर सकते हैं।

हमारा ऑफ़िस 2 जुलाई 2018 को खुलेगा।

आप वकालत और सूचना सेवाओं से और अधिक जानकारी पा सकते हैं।

आवाज उठाने से आपके और दूसरों के लिए चीजें बेहतर करने में मदद मिल सकती है।

भवदीय



**ग्रैम हेड**

पदनामित एनडीआईएस कमीशनर